

२
१५
११-१-२२

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

(1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकान रामगढ जिला-अलवर

बनाम
किसम मुकदमा नं० सन्

अहकाम

अहकाम

५१० पञ्च २१२

२१/५/२२

२०२२

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11.01.2022	<p>आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।</p> <p>वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थी पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी आदेश तक जर्ने एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 29.04.2022 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा नम्बर 1723/136 रकबा 0.28, 135 रकबा 0.01 वाकेग्राम मालपुर तहसील रामगढ जिला अलवर की रिकॉर्ड एंव मौके की यथार्थिति रखें। बशर्ते प्रार्थी साधारण/ रजिस्टर्ड ए0डी0 से दिनांक 29.04.2022 तक अप्रार्थीगण की तलबी करवाकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो। पत्रावली दिनांक 29.04. 2022 को पेश हो।</p> <p>उप खण्ड अधिकारी रामगढ (अलवर)</p> <p>29/4/22</p> <p>6/1/22</p> <p>6/1/22</p> <p>09.08.22</p>	

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज

14/8/23

~~पत्रावली दिनांक~~ 1/P.O. साहब
~~को पेश हो~~
पत्रावली दिनांक 18/9/23 को पेश हो

रीडर

18.9.23

वकील हाजी अनुमति
साबिक आदेश दिनांक 11.1.22
की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी राईट डाऊ से अंतिम मोका
दिनांक 18.10.23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

10.10.23

वकील हाजी अनुमति
साबिक आदेश दिनांक 11.1.22
की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी राईट डाऊ से अंतिम मोका
दिनांक 10.11.23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

17.11.23

पत्रावली पेश। P.O. साहब
पत्रावली दिनांक 29.12.23 को पेश हो।

रीडर

29.12.23

पत्रावली हस्तुत इसी वकील हाजी अनुमति
वकील व उनके हाजी को बार-बार आवाज
दिलानी है। इसके बावजूद वकील व उनके
हाजी आदिपत्र नहीं आये। अतः हाजीना
पत्रा-212 राम वकील व उनके हाजी की
अदम रेखी - अदम हाजिरी में खारिज किया
जाता है। पत्रावली फेल्ल शूमार हेकर सम्पन्न
के काम है। वाद तबिल तक वकील हाजिल
रफ्तार है। पत्रावली मूस वाद के सेलम है।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०